द्वितीय कार्यकारी परिषद की दिनांक 16.03.2012 को आयोजित दूसरी बैठक के कार्यवृत्त

समूह । अनुमोदनार्थ मदें

ई सी : 12:01	अध्यक्ष द्वारा सदन को व्यवस्थित घोषित किया जाना

कार्यवृत्त

12.01.1 अध्यक्ष महोदय को सदन व्यवस्थित घोषित किए जाने का अनुरोध किया गया। अध्यक्ष ने सिक्किम विश्वविद्यालय के द्वितीय कार्यकारी समिति की दूसरी बैठक के प्रति सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत किया ।

ई सी : 12:02	द्वितीय कार्यकारी परिषद की दिनांक 22.02.2012 को आयोजित प्रथम बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

कार्यवृत्त

12.02.1 सदन ने द्वितीय कार्यकारी परिषद की दिनांक 22.02.2012 को आयोजित प्रथम बैठक के कार्यवृत्त को नोट किया, जो कि अनुलग्नक ई सी XII- 01 के रूप में संलग्न थी, तथा इसकी पुष्टि की गई एवं अनुमोदन किया ।

ई सी : 12:03	द्वितीय कार्यकारी परिषद की दिनांक 22.02.2012 को आयोजित प्रथम बैठक के कार्यवृत्त पर अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट

कार्यवृत्त

12.03.1 सदन ने द्वितीय कार्यकारी परिषद की दिनांक 22.02.2012 को आयोजित प्रथम बैठक के कार्यवृत्त पर अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट को नोट किया, जो कि अनुलग्नक ई सी XII- 02 के रूप से संलगन थी तथा इसकी पुष्टि एवं अनुमोदन किया गया ।

ई सी : 12:04	शिक्षण कर्मचारियों की नियमित आधार पर नियुक्ति

कार्यवृत्त

12.04.1 सदन ने इनके समक्ष प्रस्तुत कार्यसूची मद पर विस्तृत रूप से विचार किया। अध्यक्ष महोदय ने सदन के समक्ष संपूर्ण भर्ति प्रक्रिया, प्राप्त आवेदनों के भंडार की संवीक्षा से लेकर विभिन्न

श्रेणीवार मानदंडों पर आधारित वैज्ञानिक ढंग से सूचीबद्धता एवं अंतत: किसी प्रतिष्ठित संस्थान से लिए गए वरिष्ठ प्रोफेसरों/विशेषज्ञों द्वारा इसकी संवीक्षा को स्पष्ट किया । उन्होंने उल्लेख किया कि किस प्रकार इसके प्रसंस्करण का संपूर्ण कार्य, साथ ही अभ्यर्थियों के अंतर्वाता आयोजित करने का कठिन कार्य संकाय सदस्यों द्वारा पूरी निष्ठा एवं उत्सर्ग के साथ किया गया । अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रावधानों के अनुसार अंतर्वार्ता का संचालन निर्धारित पद्धति(यों) का अनुसरण करते हुए विधिवत गठित चयन समिति द्वारा किया गया था । चयन सिमति बोर्ड का गठन ज्ञान एवं प्रतिष्ठा के एक विस्तृत क्षेत्र से प्रख्यात शिक्षाशास्त्रियों, विशेषज्ञों एवं व्यवसायिकों को सम्मिलित कर किया गया था । वे देश के कुछेक सर्वोत्तम संस्थानों का प्रतिनिधित्व करते थे ।

12.04.2 सदन ने विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षण पदों हेतु भर्ति प्रक्रिया के संचालन में किए गए उतकृष्ठ कार्य के प्रति अपनी प्रशंसा दर्ज किया । सदन ने संस्थापक उपकुलपति द्वारा इन चयन समितियों के अध्यक्ष के रूप में दिए/व्यतित किए गए विशाल समय की भी सराहना की ।

12.04.3 बाद में विधिवत अनुशंसित चयनित अभ्यर्थियों के पैनल एवं चयन समिति द्वारा अन्य संबंधित अनुशंसाओं के मोहरबंद लिफाफे को सदन के समक्ष खोला गया, तथा अध्यक्ष ने पैनलों की सूची से चयनित अभ्यर्थियों का नाम पढ़ा तथा इस पर विचारार्थ इसे सदन के समक्ष प्रस्तुत किया ।

12.04.4 सदन ने विश्वविद्यालय के एशियाई भाषाएं विभाग (नेपाली भाषा एवं साहितय) नीति एवं आयोजना अध्ययन स्कूल, भू विज्ञान विभाग, फ्लोरीक्ल्चर एवं हार्टीकल्चर प्रबंधन विभाग में शिक्षण कर्मचारियों के रूप में नियुक्ति हेतु उद्घाटित नामों के पैनल पर विचार किया तथा पैनल का अनुमोदन किया (अनुलग्नक ई सी XII एम 1 के रूप में संलग्न)

12.04.5 सदन ने विभिन्न पदों के लिए पैनल में सूचीबद्ध चयनित अभ्यर्थियों के प्रति नियुक्ति का प्रस्ताव जारी करने पर अपना अनुमोदन भी सूचित किया ।

ई सी : 12:05	गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियमित आधार पर नियुक्ति

कार्यवृत्त

12.05.1 सदन ने इनके समक्ष प्रस्तुत कार्यसूची मद पर विस्तृत विचार किया । अध्यक्ष महोदय ने सदन को अवगत करवाया कि विभिन्न नियमित पदों पर गैर शिक्षण कर्मचारियों की यू जी सी द्वारा स्वीकृत 36 गैर शिक्षण पदों के विरूद्ध भर्ति प्रक्रिया प्रगति पर है । इस पर चयन समिति बोर्ड का गठन प्रशासनिक एवं व्यवसायिक अनुभव तथा ज्ञान के वृहत्त क्षेत्र से विख्यात

विशेषज्ञों एवं व्यवसायिकों को लेकर किया जा रहा है । सदन को सूचित किया गया कि प्रथम चरण में विश्वविद्यालय द्वारा हिंदी अधिकारी, हिंदी अनुवादक, हिंदी टंकक, कार्यकारी परिषद (वैयक्तिक सहायक) एवं पुस्तकालय परिचारक के पदों पर भर्ति प्रक्रिया संचालित की गई ।

12.05.2 बाद में चयन समिति द्वारा विधिवत अनुशंसित चयनित अभ्यर्थियों के पैनल एवं अन्य संबंधित अनुशंसाओं के मोहर बंद लिफाफे को सदन के समक्ष खोला गया, तथा अध्यक्ष ने पैनलों की सूची से चयनित अभ्यर्थियों के नाम पढ़ा तथा इसे सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया।

12.05.3 सदन ने उपरोक्त पदों के प्रति नियुक्ति हेतु उद्घाटित नामों के पैनल पर विचार किया तथा पैनल का अनुमोदन किया (अनुलग्नक ई सी XII एम 2 के रूप में संलग्न)

12.05.4 सदन ने विभिन्न पदों हेतु पैनल में सूचीबद्ध चयनित अभ्यर्थियों के प्रति नियुक्ति प्रस्ताव जारी करने के लिए अपना अनुमोदन भी सूचित किया ।

ई सी : 12:06	डा0 ज्योति प्रकाश तामांग का माइक्रोबायोलॉजी में प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के कारण रजिस्ट्रार के पद से पदत्याग

कार्यवृत्त

12.06.1 सदन ने प्रस्तुत कार्यसूची पर विचार किया । ऐसे संकटकालीन पद पर रिक्ति होने पर विचार करते हुए सदन ने डा0 ज्योति प्रकाश तामांग की माइक्रोबायोलॉजी विभाग में प्रोफेसर पद पर अपने सामान्य कार्य के अतिरिक्त एक कार्यभारी रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्ति हेतु प्रस्ताव का अनुमोदन तब तक के लिए किया, जब तक किसी नए रजिस्ट्रार की नियुक्ति , अथवा सामान्य अन्य वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर ली जाती है । इस बीच सदन ने विश्वविद्यालय को रजिस्ट्रार के पद पर प्रतीक्षा सूची पैनल में विद्यमान अन्य दो नामों को एम एच आर डी को भेजे जाने का निदे्रश दिया , ताकि रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जा सके ।

ई सी : 12:07	परीविक्षा की समाप्ति की घोषणा

कार्यवृत्त

12.07.1 सदन ने इनके समक्ष प्रस्तुत कार्य सूची मद पर विचार करने के दौरान नए भर्ति किए गए नियमित शिक्षण एवं गैर शिक्षण कार्मिक सदस्यों की परीविक्षा अवधि से संबंधित प्रावधानों पर विचार-विमर्श किया । इस पर पर विचार विमर्श इस सुविधा हेतु किया गया कि कार्मिक सदस्यों को दो वर्षों की परीविक्षा अवधि के अधीन रखा जाता है, जिसके दौरान उनके कार्यों एवं व्यवहारों का मूल्यांकन सेवा में प्रतिधारण हेतु उनकी उपयुक्तता सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है ।

12.07.2 सदन ने भारत सरकार के वर्तमान अनुदेशों की अनुरूपता में विभिन्न मामलों के परीक्षण हेतु निम्नलिखित रूपरेखा में स्थायी विभागीय पदोन्नति समिति के गठन का अनुमोदन किया, जो कि शक्षण एवं गैर शिक्षण दोनों पदों में परीविक्षा के अधीन आते हैं ।

शिक्षण कर्मचारीगण:

क्रम सं0	पदनाम	पद
1.	उपकुलपति	अध्यक्ष
2.	शैक्षणिक परिषद से नामिति	सदस्य
3.	उपकुलपति द्वारा आरक्षित समुदाय में से नामित एक स्वतंत्र सदस्य	सदस्य
4.	उपकुलपति द्वारा नामित एक वरिष्ठ प्रोफेसर/विशेषज्ञ	सदस्य

गैर शिक्षण कर्मचारीगण:

क्रम सं0	पदनाम	पद
1.	कार्यकारी परिषद द्वारा नामित विशेषज्ञ/व्यवसायिक	अध्यक्ष
2.	उपकुलपति द्वारा आरक्षित समुदाय में से नामित एक स्वतंत्र सदस्य	सदस्य
3.	उपकुलपति द्वारा नामित एक सदस्य/विशेषज्ञ	सदस्य
4.	रजिस्ट्रार	सदस्य

12.07.3 सदन ने यह भी नोट किया कि विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा अनुशंसा के आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी यह निर्णय लेगा कि क्या पदोन्नति के अधीन कार्मिक सदस्य को अपनी परीविक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरा किया घोषित किया जाए अथवा परीविक्षा अवधि को विस्तारित किया जाए अथवा पदधारी को विश्वविद्यालय की सेवा से बाहर कर दिया जाए । तदनुसार, संबंधित व्यक्ति को इस निर्णय से सूचित करने की कार्रवाई की जाएगी ।

ई सी : 12:08	नियमित आधार पर भर्ति किए गए कर्मचारियों द्वारा लिएन का प्रतिधारण

कार्यवृत्त

12.08.1 सदन ने इनके समक्ष प्रस्तुत कार्यसूची मद पर विस्तृत विचार किया । सदन ने विश्वविद्यालय के इस अभिमत का दृढ़तापूर्वक समर्थन किया कि कर्मचारियों के पक्ष में उनके द्वारा अन्यत्र लिइन प्रतिधारण करने के कारण ढिलाई वर्तने के विकृत कार्यों तथा विश्वविद्यालय में नियमित पदों पर लिइन पर होने के कारण अन्य मुद्दों से बचा जाए । सदन ने इनमें समक्ष प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्तावों का अनुमोदन किया ।

1) भविष्य में नियुक्तियों के सभी मामलों में (शिक्षण एवं गैर शिक्षण दोनों) विश्वविद्यालय नए पदधारकों के संबंध में लिइन पर कोई विचार नहीं करेगा तथा
2) वर्तमान कर्मचारियों के मामले में, उन्हें एक बार के लिए यह स्पष्ट करने की नोटिस दी जाएगी कि या तो वे अपने पूर्ववर्ती नियोक्ता के साथ लिइन समाप्त करें अथवा तत्काल अपने पद पर वापसी करें ।

ई सी : 12:09	वित्त समिति के प्रति नामांकन पर विचार करना ।

12.09.1 अध्यक्ष महोदय ने सदन के समक्ष कार्यसूची मद को विस्तार से स्पष्ट किया । सदन ने नोट किया कि सम्मानित सदस्य श्री एम पी बेजबरूआ को प्रथम कार्यकारी परिषद द्वारा वित्त समिति के प्रति अपने प्रतिनिधि के रूप में नामित किया गया था । (यद्यपि, प्रथम कार्यकारी परिषद का कार्यकाल दिनांक 04.04.2011 से समाप्त होने के कारण, श्री एम पी बेजबरूआ की वित्त समिति के प्रति सदस्यता तत्पश्चात स्वत: समाप्त हो गई ।

12.09.2 इस परिस्थिति पर विचार करते हुए, सदन ने तदनुसार सम्मानित सदस्य श्री सोनाम वांगडी को वित्त समिति के एक सदस्य के रूप में कार्यकारी परिषद का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किया गया । नामांकन प्राप्त होने के परिणामस्वरूप वित्त समिति का संघटन नीचे सारणी में दर्शाए गए अनुसार निम्नलिखित सदस्यों से होगा:

क्र. सं0	कार्यपालक	पदनाम
1)	उपकुलपति, सिक्किम विश्वविद्यालय	पदेन अध्यक्ष
2)	प्रो-वाइस चांसलर	पदेन सदस्य
3)	न्यायालय द्वारा नामित किया जाने वाला एक व्यक्ति (न्यायालय अभी तक नहीं बनाया गया है) ।	सदस्य

4. कार्यकारी परिषद द्वारा नामित किया जाने वाला तीन व्यक्तिगण, जिनमें से कम से कम एक कार्यकारी परिषद का सदस्य होगा ।		
(i)	श्री सोनम वांगडी, पूर्व मुख्य सचिव सिक्किम सरकार, गंगटोक -737101 (कार्यकारी परिषद सदस्य)	सदस्य
(ii)	श्री अर्जुन स्यांगदेन, पूर्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक अक्षय तारा अपार्टमेंट्स ब्लॉक संख्या 6, फ्लैट सं0 9 2 ½ माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी - 734401	सदस्य
(iii)	सचिव, वित्त राजस्व एवं व्यय विभाग सिक्किम सरकार, गंगटोक	
5. विजिटर द्वारा नामित किए जाने वाले तीन व्यक्गितण		
(i)	डा0 (श्रीमती) रेणु बत्रा, संयुक्त सचिव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बहादुर शाह जफर मार्ग नई दिल्ली 110022	सदस्य
(ii)	श्री अमित खरे, संयुक्त सचिव (आई सी सी) उच्चतर शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय शास्त्री भवन नई दिल्ली - 110001	सदस्य
(iii)	श्री नवीन सोई, निदेशक (वित्त) मानव संसाधन विकास मंत्रालय शास्त्री भवन नई दिल्ली -110115	
6. वित्त अधिकारी, सिक्किम विश्वविद्यालय		पदेन सचिव

ई सी : 12:10	संवीदाजन्य संकाय सदस्यों के विरूद्ध आनुशासनिक कार्रवाई

12.10.1 अध्यक्ष महोदय ने सदन के समक्ष उन परिस्थितियों का वर्णन करते हुए एक समग्र संभाषण दिया, जिसमें इसे कार्यसूची मद को कार्यकारी परिषद के समक्ष लाया गया । सदन ने संवीदाजन्य संकाय सदस्यों के द्वारा विश्वविद्यालय के प्रति दुष्प्रचार में उनकी संलग्नता के कदाचार

का कड़े शब्दों में भर्तसना किया । सदन ने श्री राजेंद्र प्रसाद, श्री शैलेंद्र कुमार मिश्र, श्री तापस बायेन, श्री एम पी सोरेल, डॉ0 मनोरंजन मिश्रा एवं श्रीमती रिंकी डी केसरवानी द्वारा सिक्किम विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के माध्यम से द्वितीय कार्यकारी परिषद को संबोधित दिनांक 27 फरवरी 2012 के अभ्यावेदन पर विस्तारपूर्वक विचार विमर्श किया ।

12.10.2 इस मद पर विस्तृत चर्चा के उपरांत सदन ने निर्णय किया कि विश्वविद्यालय के सर्वोत्तम हितों में , साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में ऐसी घटना दुबारा न घटे, इन व्यक्तियों के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई अवश्य की जाए, जिन्होंने आधारहीन तथ्यों पर विश्वविद्यालय को बदनाम करने की कोशिश करते हैं/ किया था ।

सदन ने सर्वसम्मति से निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया :

किन्हीं सदस्यों के विरूद्ध एक समीचिन कार्रवाई विश्वविद्यालय के सर्वोत्तम हितों में अवश्य की जाएगी । कार्यकारी परिषद के सदस्यगण संतुष्ट थे कि श्री राजेंद्र प्रसाद एवं डा0 मनोरंजन मिश्रा की सेवाएं दिनांक 16 मार्च 2012 अपराह्न से लागू होकर कदाचार के आधार पर समाप्त की जाएंगी ।

12.10.3 कार्यकारी परिषद ने तदद्वारा सिक्किम विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार को उपरोक्त दो संकाय सदस्यों की विश्वविद्यालय के साथ सेवाएं तत्काल समाप्त करने का निर्देश दिया ।

12.10.4 माननीय सदस्य प्रो0 किरण दत्तार एवं प्रो0 अतुल शर्मा ने विश्वविद्यालय में एक शिकायत निवारण कक्ष स्थापित करने का सुझाव दिया।

ई सी : 12:11	विशेष कार्य अधिकारी (वित्त एवं प्रबंधन) की नियुक्ति

कार्यवृत्त

12.11.1 सदन ने प्रस्तुत कार्यसूची मद पर विचार किया तथा श्री दिबाकर कानुनज्ञण् पूर्व वित्त अधिकारी, असम विश्वविद्यालय, सिलचर की विशेष कार्य अधिकारी (वित्त एवं प्रबंधन) के रूप में नियुक्ति की संपुष्टि की ।

ई सी : 12:12	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य कोई विषय

कार्यवृत्त

12.12.1 कोई अन्य मद नहीं होने के कारण, अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक समाप्त हुई ।

ह0
(डा0 ज्योति प्रकाश तामांग)
रजिस्ट्रार एवं सचिव
कार्यकारी परिषद